

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफँक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gs@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक: एफ. 59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी-सीतू-मीटिंग/14/204-206 दिनांक : 15.01.15.

बैठक कार्यवाही विवरण


राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 को 12:00 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

- श्री पुरुषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- श्री जे.बी. जाखड़, मुख्य नगर नियोजक (NCR), राजस्थान, जयपुर।
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/प्रतिनिधि (रालग्न परिशिष्ट 'अ')

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-


01.	प्रस्तुत प्रकरणों की फूल संख्या	54
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	40
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने	10
04.	तकनीकी कारणों से अस्वीकृत	3
05.	नीतिगत निर्णय	1

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण रालग्न है। उक्त कार्यवाही विवरण राज्य सरकार से अनुमोदित है।


(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः

१. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
२. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, रथानीय निकाय विभाग।
३. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)।


(आर.के. विजयवर्ण्य)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

१. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर।
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अजमेर।
३. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, बारां, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, नाथद्वारा, दूंगरपुर, बीकानेर एवं किशनगढ़।
४. अधिकाशासी अधिकारी, नगर पालिका देवली, रावतसर, नोहर, सूरतगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, श्रीकरणपुर, पिङावा, लाखेरी, रीगस, जोबनेर, चाकरू, शाहपुरा (जयपुर), रादडी (पाली), सोजत, बेगू, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेडा एवं नोखा।


(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 29.12.2014 को सभागार, निदेशालय स्थानीय निकाय, जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की सूची :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री पुरुषोत्तम बियाणी	निदेशक स्थानीय निकाय एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
2.	श्री जे.बी. जाखड़	मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) राजस्थान, जयपुर
3.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
4.	श्री वी.एस. शर्मा	आयुक्त, नगर परिषद बारां
5.	श्री सुग्रीव सिंह	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
6.	श्री नरेश कुमार राठोड़	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. बैगूं
7.	श्री भोमा राम	आयुक्त न.प. डूंगरपुर
8.	श्री आशुतोष आचार्य	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सोजत (पाली)
9.	श्री सोम मिश्रा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सादडी (पाली)
10.	कैलाश शर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. देवगढ़ (राजसमन्द)
11.	श्री मुकेश जांगिड	सहायक नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
12.	श्री भरत कुमार हरितिवाल	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सरदार शहर (चुरु)
13.	श्रीमती तनुजा सोलंकी	आयुक्त न.पा. नाथद्वारा
14.	श्रीमती ममता नागर	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. शाहपुरा (जयपुर)
15.	श्री श्रवण बिश्नोई	आयुक्त, न.प. हनुमानगढ़
16.	श्री सोहन लाल	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. श्रीकरणपुर
17.	श्री राकेश कुमार शर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. चाकसू
18.	श्री अजय सिंह	सहायक अभियन्ता, न.पा. श्रीकरणपुर
19.	श्री दिलीप पूनियां	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. नोहर
20.	श्री देवी लाल बहेलिया	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. रींगस (सीकर)
21.	श्री सी.आर. मीणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अजमेर
22.	श्री मोहन लाल मीणा	सहायक नगर नियोजक
23.	श्री पोद्दार	सहायक नगर नियोजक
24.	श्री प्रेम प्रकाश	सहायक नगर नियोजक, अलवर
25.	श्री इन्दु राजगोश	नगर पालिका देवली
26.	श्री अरविन्द सिंह कानावत	उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन
27.	श्री ओ.पी. पारीक	वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर
28.	श्रीरूप सिंह चौहान	कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, राजसमन्द

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

अजमेर जोन
देवली

एजेण्डा नं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
1.	श्री राजेन्द्र बागड़ी पुत्र श्री कन्हैया लाल	राजस्व ग्राम हनुमान नगर के खसरा नं. 584/1, 584/2 व 584/4	अन्य सामुदायिक सुविधा	संरथागत (शैक्षणिक)	5.12 बीघा भूमि में से 3.8 बीघा, 4856.06 वर्गमीटर	स्वीकृत
2.	श्री लोकेश कुमार पुत्र भंवर लाल तेली	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5480/4325,	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	व्यावसायिक	1600 वर्गमीटर	स्वीकृत
3.	श्री मुकेश कुमार पुत्र भंवरलाल तेली	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5483/4309	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	व्यावसायिक	1000 वर्गमीटर	स्वीकृत
4.	श्री भंवर लाल मेघवंशी पुत्र श्री ओमकार बलाई	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5325/1086	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	औद्योगिक	3800 वर्गमीटर	स्वीकृत
5.	श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सत्यनारायण व अन्य।	राजस्व ग्राम ख. नं. 5474/4241, 5475/4221, 4242, 5476/4241 व अन्य।	विशेष/व्यावसायिक अनुसंधान महाविद्यालय एवं संस्थान और आंशिक औद्योगिक अवासीय भाग	आवासीय	3.47 हैक्टेयर	आगामी बैठक हेतु

अजमेर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
6.	श्री ज्योति स्वरूप गर्ग मित्तल डवलपर्स	भूखण्ड सं. 1 व 2 थोक तेलियान आनासागर सरक्यूलर रोड	आवासीय	व्यावसायिक	561.66 वर्गगज	स्वीकृत

बीकानेर जोन
हनुमानगढ़

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
7.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री नौरंगराय इन्द्रकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री दीनदयाल, राजकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल, श्रीमति रजनीबाला पत्नि श्री प्रवीण कुमार जरिये मुख्त्यारे आम श्री विपिन कुमार श्री बिशनदास	श्रीकरणपुर चक 13 ओ.मु.नं.19 किला नं. 13/0.177, 16/0. 164, 17/0.253, 18/0.253, 23/0. 228, 24/0.228, 25/0.139 कुल 1. 442 हैक्टेयर	वृक्षारोपण पट्टी, परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	व्यावसायिक	19950 वर्गमीटर	स्वीकृत

रावतसर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
8.	श्री रतन सिंह पुत्र कानसिंह	चक 17 डी.डब्ल्यू.डी. रावतसर के प.न. 170/53 (13) के	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 3. 100 हैक्टेयर	स्वीकृत

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

		किला नं. 3 की 0.253 हैक्टेयर, 5 की 0.253 हैक्टेयर, 6 की 0.253.7 हैक्टेयर, 8 की 0.288 हैक्टेयर, 13 की 0.215 हैक्टेयर, 14 की 0.253 हैक्टेयर, 15 की 0.253 हैक्टेयर, 17 की 0.253 हैक्टेयर 18 की 0.202 हैक्टेयर, 24 की 0.228 हैक्टेयर,			
--	--	---	--	--	--

रावतसर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
9.	श्री हंसराज पुत्र फुसाराम मेघवाल	चक 17 डी.डब्ल्यू.डी. रावतसर के प.न. 168/411 (14) के किला नं. 16 की 1.38 हैक्टेयर 17 ता 20 की 1.012, 23/2 की 0.228 हैक्टेयर 24/2 की 0.228, 25/2 की 0.124 हैक्टेयर	फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यावसायिक	आवासीय	कुल 1.730 हैक्टेयर	स्वीकृत

नोहर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
10.	श्री मोहम्मद अली, श्री अमीत अली, श्री हरीसिंह, श्री राजवीर सिंह जरिये मुख्यारे आम श्री लियाकत अली टाक	राजस्व ग्राम ढाणी चारणान के खसरा नं. 94, 95, 106/352 तथा ग्राम दईदासपुरा के खसरा नं. 148/1, 148/2, 148/3, 152	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 15.57 हैक्टेयर	स्वीकृत

सूरतगढ़

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
11.	श्री अजय कुमार कस्वा पुत्र श्री राजेश कुमार, श्री महेश गोदारा पुत्र श्री ख्यालीराम गोदारा, श्री सलीम पुत्र श्री जहुर अहमद एवं श्री सनी पुत्र श्री वेद प्रकाश अरोड़ा	राजस्व ग्राम सूरतगढ़ चक 35 पीबीएन मु. 9, प. 28/375 कि नं. 1/0.177, 2 ता 4 में 0.759, 5/0. 101, 6/0.195 7 व 8 में 0.506	फॉर्म कॉलोनी	आवासीय	कुल 1.738 हैक्टेयर 17380 वर्गमीटर	स्वीकृत
12.	श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री कालूराम श्री ज्योति प्रकाश पुत्र श्री भैरुदान अभिनव अरोड़ा पुत्र श्री कृष्णकुमार श्री आत्माराम पुत्र श्री फुसाराम	राजस्व ग्राम सूरतगढ़ के खसरा नं. संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि वाके चक 35 पीबीएन, मु. 9 प. 28/375 सूरतगढ़ किला नं. 9/0.253, 10/0.177, 11/0. 177, 12/0.253,	फॉर्म कॉलोनी	आवासीय	कुल 1.943 हैक्टेयर (19430 वर्गमीटर)	स्वीकृत

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

		13 / 0.075, 18 / 0. 074, 19 / 0.253, 20 / 0.177, 21 / 0. 177, 22 / 0.253, 23 / 0.074				
13.	श्री जसवन्त राय पुत्र श्री कालूराम, श्री मनदीप पुत्र श्री वेद प्रकाश, श्री सतपाल पुत्र श्री भागीरथ, श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह एवं श्री शंकर लाल पुत्र महादेव प्रसाद	राजस्व ग्राम सूरतगढ चक 35 पीबीएन मु. 9, प. 28 / 375 कि न. 13 / 0.178, 14 / 0.253, 15 / 0. 149, 16 / 0.140, 17 / 0.253 18 / 0. 179, 23 / 0.179, 24 / 0.253, 25 / 0. 140	फॉर्म कॉलोनी	आवासीय	कुल 1.724 हैक्टेयर 17240 वर्गमीटर	स्वीकृत

रतनगढ

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
14.	श्री रामेश्वर लाल भाटी पुत्र श्री भैरांराम व अन्य	राजस्व ग्राम रतनगढ के खसरा नं. 869	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक शैक्षणिक	आवासीय	कुल 21 बीघा 5 बिस्वा	आगामी बैठक हेतु

सरदारशहर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
15.	श्री विकास मालू पुत्र श्री मूलचन्द मालू।	सरदारशहर के खसरा नं. 141 तादादी 18 बीघा 10 बिस्वा	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी	आवासीय	कुल 4.68 हैक्टेयर	स्वीकृत

श्रीकरणपुर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
16.	श्री बरजिन्द्र सिह पुत्र श्री नायाब सिह व अन्य	श्रीकरणपुर चक 13 ओ.मु.नं.19 किला नं. 13 / 0.177, 16 / 0. 164, 17 / 0.253, 18 / 0.253, 23 / 0. 228, 24 / 0.228, 25 / 0.139 कुल 1. 442 हैक्टेयर	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 1.442 हैक्टेयर	स्वीकृत

हनुमानगढ

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
17.	श्री तरुण कुमार पुत्र श्री करताराम, श्री तरुण बंसल पुत्र श्री सतपाल बंसल, श्रीमती नीलम बंसल पत्नी श्री तरुण बंसल, श्री राज बंसल पुत्र श्री सतपाल बंसल, श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री हरबंस लाल, श्री मधुसूदन पुत्र श्री मदनलाल, श्री मनीष लाल पुत्र श्री विनोद कुमार, श्री कपिल बंसल पुत्र श्री विजय बंसल, श्री मदन	चक नं. 49 एन.जी.सी. के खाता सं. 4 / 3 के पथर नं. 123 / 260 किला नं. 06 / 0.038, 15 / 0.190, 16 / 0.253, पथर नं. 124 / 260 के किला नं. 1 / 2 / 0.025, 10 / 0.139, 11 / 1 / 0. 0215, 12 / 1 / 0.089, 18 / 1 / 0.088, 19 / 1 / 0.025, 20 / 1 / 0.190, 21 / 0. 0253, 22 / 1 / 0.223 व	पर्यावरण, वृक्षारोपण पट्टी, नाली, बंधा व घग्घर बहाव क्षेत्र	आवासीय	2.719 हैक्टेयर	अस्वीकृत (भूमि बाढ से बचाव हेतु निर्मित सुरक्षा बंध के क्षेत्र में स्थित है।)

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

मोदी पुत्र श्री मोहन लाल। 23/1/0.245						
कोटा जोन						
बारां						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
18. श्री वैभव सिंह पुत्र दीपक सिंह	राजस्व ग्राम नलका का खसरा नं. 48/586, 591/48	आवासीय	शैक्षणिक	2.53 हैक्टेयर	स्वीकृत	
पिडावा						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
19. श्री दिलीप शर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री यासीन मोहम्मद, श्री शकील मोहम्मद	राजस्व ग्राम पिडावा के खसरा नं. 804, 806, 808, 809	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	आवासीय	4 बीघा 9 बिस्वा (11255 वर्गमीटर)	स्वीकृत	
लाखेरी						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
20. श्री प्रभुलाल, लक्ष्मण लाल, रूप नारायण, अमर लाल पुत्र सांवला एवं श्रीमती शंकरी बाई पत्नी सांवला जाति वैरवा	राजस्व ग्राम लाखेरी के खसरा नं. 2526/2	थोक व्यापार	आवासीय	0.45 है0 (4469 वर्गमीटर)	स्वीकृत	
जयपुर जोन						
रींगस						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
21. श्री कृष्ण बलराम रजीडेन्सी प्रा.लि. जयपुर	राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नं. 1847, 1848, 1827, 1830/3, 1828/1, 1831/3, 1846, 1856, 1853/2 कुल किता 9 रकबा 5.90 हैक्टेयर	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 70662 वर्गमीटर	स्वीकृत	
जोबनेर						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
22. श्री सत्य नारायण पुत्र श्री हीरालाल	राजस्व ग्राम बबेरवालो के खसरा नं. 886/339 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	औद्योगिक	कुल 11495.00 वर्गगज	स्वीकृत	
चाकसू						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
23. सिद्धार्थ शिक्षण संस्थान	राजस्व ग्राम चाकसू के खसरा नं.	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ	आवासीय	कुल 1. 23	स्वीकृत	

		3035 / 11932 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नं. 3031 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नं. 3032 रकबा 0.41 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर			हैक्टेयर	
--	--	---	--	--	----------	--

शाहपुरा

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
24.	श्रीमती रामादेवी, श्रीमती विनोद देवी, श्रीमती पांची देवी व श्री अशोक कुमार मीणा	राजस्व ग्राम बिदारा के खसरा नं. 929 से 935, 945 / 1634, 946, 947, 953 कुल किता 9 रकबा 5.90 हैक्टेयर	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 3.91 हैक्टेयर	स्वीकृत

चाकसू

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
25.	जी.टी. इन्फ्रा क्रियेशन, एल.एल. पी. एवं श्री किशन लाल पुत्र श्री नाराण	ग्राम स्वामी का वास तहसील चाकसू के खसरा नं० 91 रकबा 0.13 है०, 93 रकबा 0. 41 है०, 94 रकबा 0. 46 है०, 95 रकबा 0. 42 है०, 96 रकबा 0. 12 है०, 98 रकबा 0. 50 है०, 115 / 672 रकबा 0.09 है०, 121 रकबा 0.40 है०, 123 रकबा 0.16 है०, 124 रकबा 0.17 है०, 126 रकबा 0.32 है०, 97 रकबा 0.31 है०, 116 रकबा 0.32 है०, कुल किता 13 कुल रकबा 3.8100 हैक्टर ग्राम जयसिंहपुरा पटवार क्षेत्र ¹ गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं० 47 रकबा 0.25 है०, 48 रकबा 0. 03 है०, 49 रकबा 2. 06 है०, 50 रकबा 0. 08 है०, 51 रकबा 0. 13 है०, 52 रकबा 0. 36 है०, 53 रकबा 0. 06 है०, 54 रकबा 0. 11 है०, 55 रकबा 0. 64 है०, 56 रकबा 0. 70 है०, 57 रकबा 0. 33 है०, 60 रकबा 0. 04 है०, 61 रकबा 0. 02 है०, 63 रकबा 0. 06 है०, 64 रकबा 0.	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	औद्योगिक	72400 वर्गमीटर	आगामी बैठक हेतु

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्वान सचिवालय, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

		06 है0, 66 रकबा 0. 09 है0, 67 रकबा 0. 01 है0, 69 रकबा 0. 06 है0, 70 रकबा 0. 05 है0, 71 रकबा 0. 04 है0, 72 रकबा 0. 46 है0, 77 रकबा 0. 04 है0, 78 रकबा 0. 04 है0, 179 रकबा 0. 40 है0, 180 रकबा 0. 40 है0, 181 रकबा 0. 36 है0, 182 रकबा 0. 27 है0 183 रकबा 0. 06 है0, 184 रकबा 0. 02 है0, 186 रकबा 0. 01 है0 कुल किता 30 कुल रकबा 7.24 हैक्टर			
--	--	---	--	--	--

जोधपुर जोन

सादडी

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
26.	श्री लाल सिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुरोहित	राजस्व ग्राम हवाला का खसरा नं. 322, 522, 322 / 525, 351 / 531 एवं 523 / 530	आवासीय	होटल प्रयोजनाथ (व्यावसायिक)	18900 वर्गमीटर	स्वीकृत

बाडमेर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
27.	श्री पांचाराम वर्गरह के आम मुख्तियार श्री दीपक शारदा	राजस्व ग्राम सांसियों का तला खसरा नं. 813 / 648, 1066 / 648, 2039 / 648 व 650 रकबा, 27 बीघा 05 बिस्वा	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 52756 वर्गगज	स्वीकृत

सोजत

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
28.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री चुतरा राम वर्गरह	राजस्व ग्राम धन्वेडी के खसरा नं. 905 / 1, 905 / 2, 905 / 3, 905 / 4, 905 / 5, 905 / 11	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	20,838 वर्गमीटर	स्वीकृत

पाली

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
29.	श्री किशोर कुमार पुत्र श्री हीरालाल ईगर आम मुख्तियार मनवर	राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम मण्डिया के खसरा नं. 27 / 1 व 27 / 2	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल रकबा 3.24 हैक्टर	आगामी बैठक हेतु

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

भाटी						
उदयपुर जोन						
राजसमन्वय						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
30. श्री भैरुलाल पिता श्री गुलाबचन्द नागदा	राजस्व ग्राम हवाला का खसरा नं. 95, 96, 97	आवासीय	व्यावसायिक	4637.77 वर्गगज	स्वीकृत	
बगू						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
31. श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा, श्री बद्री लाल पुत्र श्री कालू राम जाट व श्री नारायण पुत्र सेवा धोबी	राजस्व ग्राम किशोरपुरा की आराजी नं. 130, 131, 137, 138 139	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	26200 वर्गमीटर 2.62 हैक्टेयर	स्वीकृत	
32. श्री कमलेश पुरोहित पिता श्री अमृत लाल	राजस्व ग्राम पीपलीखेड़ा का खसरा नं. 755 / 732, 800 / 733, 803 / 732, 804 / 733	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	0.99 हैक्टेयर	स्वीकृत	
33. श्री बालू पिता भागा जटिया, श्री बंशीलाल पिता हीरालाल भील	राजस्व ग्राम पीपलीखेड़ा का खसरा नं. 765 / 393, 759 / 393, 754 / 394	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 13283. 94 वर्गमीटर	स्वीकृत	
देवगढ़						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
34. श्री रिपुदमन सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह एवं श्री मती विजयलक्ष्मी पत्नि विक्रम सिंह	राजस्व ग्राम देवगढ़ का खसरा नं. 4228, 4229,	मेला एवं पर्यटन सुविधाएँ	आवासीय	29057 वर्गमीटर (2.9 है0)	स्वीकृत	
35. श्री मानवजीत सिंह पिता करणी सिंह राजपूत	राजस्व ग्राम हवाला का खसरा नं. 95, 96, 97	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक प्रस्तावित	वाणिज्यिक	1620 वर्गमीटर	स्वीकृत	
नाथद्वारा						
प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय	
36. श्री दामा पिता मनाभील निवासी डिगोल	राजस्व ग्राम खोखाढाणी का खसरा नं. 370, 371, 372, 417 रक्खा 05-05-00	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	कुल 13283. 94 वर्गमीटर (1.32 है0)	आगामी बैठक हेतु	

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

		बीघा				
37	श्री भैरवलाल, श्री सेवाराम, श्री मांगीलाल	राजस्व ग्राम बड़लावाला का खसरा नं. 154 / 80, 82, 74, 155 / 75, 75, 156 / 76, 157 / 69, 73, 72, 70, 71, 161 / 74, 162 / 67, 163 / 69, 164 / 69, 160 / 69, 158 / 73, 169 / 75, 81, 76, 77, 79, 80	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	05-02-00 बीघा	आगामी बैठक हेतु

नीतिगत निर्णय

38.	मास्टर प्लान में विभिन्न उपयोगों को अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में	स्वीकृत
-----	---	---------

अतिरिक्त एजेडा

अजमेर

39.	श्री मोहन लाल जैन पुत्र श्री बिरदी चन्द जैन, निवासी— अजमेर द्वारा राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2000 के नियम-7 के साथ नियम 4, 5 एवं 9 के अन्तर्गत निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 22.09.2011 के विरुद्ध प्राप्त निगरानी प्रकरण।	अस्वीकृत (भूमि आनासागर डूब क्षेत्र में स्थित है।)
-----	---	---

पुष्कर

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
40.	श्री लाल चंद पुत्र श्री बीजा धानका।	राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 157 / 2948	पार्क, खुला स्थल एवं खेल मैदान	होटल (व्यावसायिक)	6936.96 वर्गगज (5800 वर्ग. मी.)	स्वीकृत

तिजारा

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
41.	श्रीमति बीरमति पल्लि श्री सुरेश चन्द जरिये मु.आम. जीता पल्लि श्री प्रभाती लाल	राजस्व ग्राम लाधावाडा खसरा नं. 144 / 259	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	आवासीय	1.77 हैक्टर	आगामी बैठक हेतु

पीलीबंगा

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
42.	श्री असगर अली महबूब खां, कलाल पुत्र श्री लालू खां	चक 15 पी.बी.एन. का मुरब्बा नं. 19 पत्थर नं. 313 / 28, किला नं. 32 / 02 में 0. 127 किला नं. 14 से 25	ट्रांसपोर्ट नगर	आवासीय	3.163 हैक्टर	स्वीकृत

पाली

	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
43.	महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली	राजस्व ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नं.	आवासीय	औद्योगिक	8 बीघा 10 बिस्त्वा	अस्वीकृत (भूमि घनी आबादी क्षेत्र

		719				के मध्य स्थित है। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की दृष्टि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं है।)
--	--	-----	--	--	--	--

झूंगरपुर

प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
श्री सोमा पिता नाथा मीणा, श्री गोरधन लाल, श्री जीवण, श्री गाविन्द, श्री सोमा व अन्य	राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नं. 706 / 126, 710 / 666 / 127, व 666 / 127 / 3, 706 / 126, 120, 126, 166 / 127, 711 / 666 / 127 व 666 / 127 / 1	ट्रक स्टेप्ड, थोक व्यापार	आवासीय	5000 वर्गमीटर से कम	आगामी बैठक हेतु

निम्बाहेड़ा

45.	निगरानी/अपील प्रकरण द्वारा श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री पृथ्वीराज एवं श्री फूला देवी उर्फ सीता देवी पत्नी जगदीश चन्द्र निम्बाहेड़ा के खसरा नं 127 मेरकबा 2 बीघा 5 बिस्वा विरुद्ध निर्णय नगर पालिका निम्बाहेड़ा दिनांक 29.11.2011	आगामी बैठक हेतु
-----	--	-----------------

देवगढ़

प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
46. श्री मनोहर लाल पिता धीसू लाल डागा	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं. 1591, 1592, 1593 / 2,	सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ	आवासीय	3867 वर्गमीटर	स्वीकृत
47. श्री विनोद कुमार, मनोज हठीला, रोहित हठीला, सुमन हठीला पत्नि जगदीश चन्द्र, चन्द्रकला बेवा जगदीश	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं. 1552	सार्वजनिक सुविधा	आवासीय	647.53 वर्गमीटर	स्वीकृत
48. श्रीमती कंचन देवी पत्नि बाबूलाल माण्डोल, श्रीमती सुनिता पत्नि महेन्द्र कुमार माण्डोल, श्रीमती मंजूदेवी पत्नि गौतम चन्द्र श्रीमाल	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं. 1535 एवं 1536	सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ (ss)	आवासीय	1442 वर्गमीटर	स्वीकृत
49. श्री बाबूलाल पिता मांगी लाल दक	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं. 1595, 1596 / 1, 1594,	सार्वजनिक, अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ	आवासीय	3802.61 वर्गमीटर	स्वीकृत

सूरतगढ़

प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
50. श्री लक्ष्मी	राजस्व ग्राम सूरतगढ़	परिधि नियन्त्रण	आवासीय	3.795	स्वीकृत

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 में रखे जाने वाले प्रकरणों का विवरण

	नारायण पुत्र श्री भंवर लाल साकिन श्री करण पुर एवं श्री हरि राम पुत्र श्री जेठा राम साकिन मोकमवाला	खसरा नं. 485 / 18 / 5	क्षेत्र		हैकटेयर	
नोखा						
	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
51.	श्री नारायण बाहेती पुत्र श्री ओम प्रकाश	राजस्व ग्राम मडिया खसरा नं. 845 / 374	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	शैक्षणिक	2700 वर्गमीटर	स्वीकृत
बीकानेर						
52.	बीकानेर के नगरीय क्षेत्र में शामिल किये गये 8 गांवों के बारे में भू-उपयोग निर्धारण के संबंध में।					
पुष्कर						
	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम/खसरा नं.	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल	निर्णय
53.	श्री मांगी लाल पुत्र श्री लोगा राम मेघवाल	खसरा नं. 925 मी. 1022 / 44 व 1022 / 1	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	रिसोर्ट	19369.68 वर्गगज (16195.51 वर्ग.मी.)	आगामी बैठक हेतु
54.	किशनगढ़ नगर परिषद की स्थानीय स्तर की भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 17.01.2012 में लिए गए निर्णय के अनुमोदन के सम्बन्ध में।					

दरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्वालय सारकार, जयपुर

नगर निगम / परिषद / पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम वैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 18 / डीएलबी / एसटीपी / केटीजेड / बारां

	शहर कर्से का नाम	बारां
1.	आवेदक का नाम	श्री वैभव सिंह पुत्र श्री दीपक सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नलका के खसरा नं० 48/488, 594/48 रकबा 2.53 हैक्टर (25300 वर्गमीटर)
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 25300 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2033)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	शैक्षणिक
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, बारां के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2033 में आवासीय भू-उपयोग में दर्शित है। आवेदित स्थल मेलखेड़ी सड़क से 200 मीटर कम दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है तथा नगर परिषद की अनुमोदित योजना से 50 फीट चौड़ा रास्ता ही उपलब्ध है। मास्टर प्लान-2033 दिनांक 23.01.2014 को लागू किया गया। जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, बारां द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना जन नायक, कोटा एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 20-19/C) में दिनांक 15.07.12 एवं 04.12.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, बारां द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर प्रश्नगत भूमि के समीप ही अनुमोदित मास्टर प्लान अनुसार कॉलेज दर्शाया गया है तथा पत्रावली में संलग्न आवेदित भूमि के प्रमाणित लोकेशन प्लान अनुसार भूमि के आस-पास जाट, माली एवं अहीर छात्रावास, राजकीय महाविद्यालय, मण्डी आदि स्थित है। उक्त विकास से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानिक गतिविधियां विकसित हो चुकी हैं एवं भविष्य में भी विकसित होने की संभावना है।</p> <p>शैक्षणिक सुविधा मानव की एक मूलभूत आवश्यक सुविधा है, जो कि निवास स्थान के समीप ही होनी चाहिए। सामान्यतः मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्रों में बड़ी आवासीय योजनाओं में विद्यालय, थाना, पानी की टंकी जैसी सुविधाओं को अनुज्ञेय किया गया है। अतः प्रकरण में आवासीय आरक्षित भूमि में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः उपरोक्त अनुसार प्रकरण में निम्न शर्तों के साथ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दिये जाने पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, बारां तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

समिति का निर्णय :— प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद बारां एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि शैक्षणिक गतिविधियां, मानव की मूलभूत आवश्यकता है तथा निवास स्थान के समीप ही होनी चाहिए तथा आवेदित स्थल मेलखेड़ी सड़क से 200 मीटर कम दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है तथा नगर परिषद की अनुमोदित योजना से 50 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रकरण में विचार-विमर्श पश्चात् आवेदित भूमि राजस्व ग्राम नलका के खसरा नं० 48/488, 594/48 रक्बा 2.53 हैक्टर (25300 वर्गमीटर) का बारां मास्टर प्लान-2033 में आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निम्न के प्रस्ताव निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :—

1. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
2. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
3. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईविलंग एवं ऐन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
4. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

कृत्तमि

राजस्व नगर नियोजक
नियमानुसार स्थानीय निकाय विभाग
सालरदान राजपुर, चम्पाली

नगर निगम / परिषद / पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 19 / डीएलबी / एसटीपी / केटीजेड / पिडावा

	शहर करबे का नाम	पिडावा
1.	आवेदक का नाम	श्री दिलीप शर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री यासीन मोहम्मद, श्री शकील माहम्मद
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पिडावा के खसरा ० 804 रकबा 11 बिस्वा, 806 रकबा 5 बिस्वा, 808 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा एवं 809 रकबा 1 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा अर्थात् 11255 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 11255 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिडावा के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :—	<p>1. प्रश्नगत भूमि पिडावा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय हेतु आरक्षित है। तथा भूमि मौके पर कोटड़ी बाई पास से बस स्टेण्ड जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मौके पर 25 से 30 फीट है। तथा मास्टर प्लान में 80 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. मास्टर प्लान-2031 दिनांक 16.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिडावा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राज्य स्तरीय समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 41 व 43/C) में प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>4. स्थानीय स्तर की भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 23.01.14 (पृष्ठ 3-7 / सी) अनुसार प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु में भिजवाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>5. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा मौके पर हो रहे आंशिक विकास कार्य एवं निर्माण तथा नगर पालिका की अनुशंसा के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन बाबत राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किये जाने की राय दी गई है।</p>
8.	प्रस्ताव :—	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 6 तथ्यों के मद्देनजर प्रश्नगत भूमि के आस पास हो रहे विकास के मध्यनजर आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा। प्रश्नगत भूमि मौके पर कोटड़ी बाई पास से बस स्टेण्ड लाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार मौके पर 25 से 30 फीट है। तथा मास्टर प्लान में 80 फीट प्रस्तावित है। अतः तकनीकी दृष्टिया आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण में मास्टर प्लान लागू हुये 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल 4 बीघा 9 बिस्वा है। मास्टर प्लान में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति में लिया जाना है। प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(55)नविवि/3/2010 दिनांक 07.05.2010 अनुसार प्रकरण को समिति में रखे जाने से पूर्व राज्य सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त अनुसार प्रकरण में निम्न शर्तों के साथ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दिये जाने पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है :—</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित स्थल मौके पर 25 से 30 फीट सड़क पर स्थित है। संलग्न ले-आउट प्लान में 60 फीट दर्शाया गया है। अतः सड़क को मास्टर प्लान अनुसार 80 फीट किये जाने हेतु सड़क के केन्द्र से 40 फीट पट्टी में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में समर्पित की जानी होगी। योजना मानचित्र का अनुमोदन उपरोक्त अनुसार टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

	<p>समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत किया जावेगा। योजना में आंतरिक विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी/विकासकर्ता की होगी।</p> <p>3. योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र का निःशुल्क समर्पण स्थानीय निकाय विभाग के पक्ष में किया जावेगा एवं इस भूमि का स्वामित्व स्थानीय निकाय का होगा।</p> <p>4. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टर से कम है। अतः योजना में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।</p> <p>5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी।</p> <p>6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल एवं न्यायिक वाद आदि की सुनिश्चिता स्थानीय स्तर पर की जावेगी।</p> <p>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पिडावा, वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :— प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशासी अधिकारी, पिडावा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रश्नगत भूमि प्रश्नगत भूमि कोटडी बाई पास से बस स्टेंड सड़क पर स्थित है। सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान में 80 फीट प्रस्तावित है तथा आस—पास विकास हो रहा है। अतः प्रकरण में विचार—विमर्श पश्चात् आवेदित भूमि राजस्व ग्राम पिडावा के खसरा 0 804 रकबा 11 बिस्वा, 806 रकबा 5 बिस्वा, 808 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा एवं 809 रकबा 1 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा अर्थात् 11255 वर्गमीटर का पिडावा मास्टर प्लान—2031 में सरकारी एवं अद्वे सरकारी कार्यालय से आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :—

7. प्रश्नगत भूमि कोटडी बाई पास से बस स्टेंड सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार सड़क की चौड़ाई 80 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के केन्द्र से 40 फीट पट्टी में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण कराया जायेगा।
8. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाऊनशिप पॉलिसी—2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
9. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
10. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टर से कम है। अतः योजना में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
11. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
12. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी—2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
13. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
14. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
15. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

नगर निगम / परिषद / पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 20 / डीएलबी / एसटीपी / केटीजेड / लाखेरी

शहर कस्बे का नाम	लाखेरी
1. आवेदक का नाम	श्री प्रभु लाल, लक्ष्मण लाल, रूप नारायण, अमर लाल पुत्र सांवला एवं श्रीमति शंकरी बाई पत्नी सांवला
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम लाखेरी के खसरा नं 2526/2 क्षेत्रफल 0.45 हेक्टर (4469 वर्गमीटर)
3. क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 4469 वर्गमीटर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	थोक व्यापार
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लाखेरी के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि लाखेरी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में मेंगा हाईवे का मार्गाधिकार 200 फीट अर्थात् सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट छोड़कर व उत्तर की ओर सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट अर्थात् सड़क मध्य से 50 फीट छोड़कर थोक व्यापार हेतु दर्शित है। भूमि की स्थिति कोटा से लालसोट जाने वाले मेंगा हाईवे व मुख्य स्टेशन सड़क के जंक्शन के मध्य है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 30.12.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लाखेरी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक भाष्कर एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 23-24/C) में दिनांक 15.01.14 एवं 08.07.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लाखेरी की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24.06.14 के अनुसार प्रकरण को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर प्रश्नगत भूमि मेंगा हाईवे का मार्गाधिकार 200 फीट अर्थात् सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट छोड़कर व उत्तर की ओर सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट अर्थात् सड़क मध्य से 50 फीट छोड़कर थोक व्यापार हेतु दर्शित है। भूमि की स्थिति कोटा से लालसोट जाने वाले मेंगा हाईवे व मुख्य स्टेशन सड़क के जंक्शन के मध्य है।</p> <p>अतः भूमि के एक तरफ 200 फीट सड़क है तथा दूसरी तरफ 100 फीट सड़क है तथा दोनों सड़कों के जंक्शन पर स्थित है। शहर की बसावट के बाहर ऐसी स्थिति पर व्यावसायिक (थोक व्यापार) की गतिविधियों हेतु मास्टर प्लान में उपयोग प्रस्तावित किया गया है। तथापि प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग हेतु आवेदन किया गया है। अतः आवासीय उपयोग बाबत निर्णय लिया जाना है।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लाखेरी की अभिशंषा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा एवं प्रकरण के परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, लाखेरी एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

प्रश्नगत भूमि प्रश्नगत भूमि कोटा से लालसोट जाने वाले मेंगा हाईवे पर स्थित है। स्थल के एक तरफ 100 फीट सड़क है। लाखेरी शहर एक छोटा नगरीय क्षेत्र है। इसमें शहर से इतनी दूरी पर थोक व्यापार हेतु गतिविधियां विकसित होने की संभावनाएँ कम हैं। अतः प्रकरण में विचार-विमर्श पश्चात् आवेदित भूमि राजस्व ग्राम लाखेरी के खसरा नं० 2526/2 क्षेत्रफल 0.45 हैक्टर (4469 वर्गमीटर) का लाखेरी मास्टर प्लान-2031 में थोक व्यापार से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :—

1. भूमि की स्थिति कोटा से लालसोट जाने वाले मेंगा हाईवे व स्थल के उत्तरी दिशा में 100 फीट सड़क के मध्य जंक्शन पर स्थित है। अतः 200 फीट सड़क एवं 100 फीट सड़क के मध्य से क्रमशः 100 फीट व 50 फीट पट्टी में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निशुल्क समर्पण किया जावेगा।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईकिलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

महेश

दिल्ली दरबर नियोजक
निगम स्थानीय निकाय कीमा
राजस्थान राज्य, भारत

नगर निगम / परिषद / पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 38 / डीएलबी / एसटीपी / सामान्य / नीतिगत निर्णय

विषय :- भू-उपयोग परिवर्तन के निम्न प्रकरणों में नीतिगत निर्णय लिये जाने के संबंध में	
1.	<p>प्रकरण के तथ्य :-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रायः यह देखने में आया है कि स्थानीय निकायों द्वारा नगरों के मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत शैक्षणिक, अस्पताल एवं सामुदायिक सुविधाओं हेतु एवं सामुदायिक सुविधाओं/अन्य सामुदायिक सुविधाओं/अस्पताल हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। जिसकी एक लम्बी प्रक्रिया है तथा अनावश्यक रूप से आवेदकों को इस लम्बी प्रक्रिया से गुजरने में परेशानी होती है। साथ ही स्थानीय निकायों में भी राजस्व प्राप्ति की सतत प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है। जिससे स्थानीय निकायों पर कई बार वित्तीय संकट आ जाता है। ज्ञातव्य है कि शैक्षणिक, अस्पताल एवं सामुदायिक सुविधाएं मानव की मूलभूत सुविधा है, जो कि मानव के निवास स्थान से सुगम्य होनी चाहिए। नगर नियोजन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों हेतु तैयार मास्टर प्लान में नियोजन की स्पष्ट अवधारणा के अनुरूप "प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है इनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लों में सामान्यतः 50–100 परिवार निवास करते हैं इन मौहल्लों में पारिवारिक आबादी 1000–2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार से चार से पाँच योजना इकाईयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता है। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता है।" जयपुर के नगरीय क्षेत्र हेतु तैयार मास्टर प्लान–2025 के डिवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन में भी आवासीय जोन के अन्तर्गत अनुज्ञेय गतिविधियों में Integrate residential school with hostel और बिना Hostel, प्राथमिक विद्यालय आदि को as per norms of educational dept. के आधार अनुज्ञेय किया गया है (प्रति संलग्न)। राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 138वीं बैठक दिनांक 04.09.2013 द्वारा नगरों/कस्बों में पैट्रोल पम्प के स्थल अनुमोदन हेतु निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिया गया है :— (प्रति संलग्न पृष्ठ सं. 1/C) <p>"मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में नये पैट्रोल पम्प हेतु स्थल प्रस्तावित नहीं किये जाते हैं, आवश्यकतानुरूप समय—समय पर आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत/औद्योगिक हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में आवेदित भूमि का प्रमुख सड़कों यथा MDR/SH/NH पर स्थित होने तथा पैट्रोल पम्प हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने की स्थिति में प्रायः पैट्रोल पम्प हेतु भू-उपयोग की कार्यवाही की जाती रही है। अतः समिति द्वारा नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय तथा वाणिज्यिक भू-उपयोग में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में पैट्रोल पम्प अनुज्ञेय किया गया है (उक्त निर्णय राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् कार्यवाही विवरण जारी किया गया है)।</p> राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10 (73)नविवि/3/04 दिनांक 08.04.2005 द्वारा निम्नानुसार, निम्न गतिविधियों को परिधि नियन्त्रण पट्टी में अनुज्ञेय किया गया है :— <ul style="list-style-type: none"> परिधि नियन्त्रण पट्टी में जिन शहरों की स्वीकृत मास्टर प्लान में निम्न भू-उपयोग अनुदेश है—यथा ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि आधारित उद्योग, ईट-भट्टे, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गी पालन, फार्म हाउस, रिसोर्ट्स, मोटर्ल्स, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क इत्यादित उनमें राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इन प्रकरणों में स्वीकृत मास्टर प्लान में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में वर्णित भू-उपयोग के प्रकरण में केवल भू-रूपान्तरण/नियमन की कार्यवाही की जावें। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में मास्टर प्लान में वर्णित भू-उपयोगों के प्रकरणों (मॉडल राजस्थान) नगरीय क्षेत्र, भवन विनियम, 2000 में जो प्लानिंग पैरामीटर्स निर्धारित किये

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

	Use	Minimum area	Road width	Definition
<p>गये हैं, उन पैरामीटर्स के अनुसार प्रकरण में भूमि रूपान्तरण/नियमन की स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।</p> <p>6. प्राधिकरण/नगर विकास न्यास से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 137वीं बैठक दिनांक 17.07.2013 की कार्यवाही विवरण अतिरिक्त एजेण्डा सं. 11/सामान्य में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :— "मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत योजनाओं स्तर पर अनुज्ञेय, सामुदायिक सुविधाओं/जन सुविधाओं हेतु राजकीय परियोजनाओं के लिए भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने की शिथिलता दी गई।" यह कार्यवाही विवरण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है।</p> <p>7. राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पूर्व में आदेश क्रमांक प.10 (73)नविवि/3/04 दिनांक 08.04.2005 द्वारा उपरोक्त अनुसार गतिविधियों को अनुज्ञेय किया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक 3 (54) नविवि/3/2012 दिनांक 01.11.2012 के विविध बिन्दुओं के बिन्दु सं. 22 के तहत निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे :— "मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की आबादी से 500 मीटर की परिधि में राजस्व ग्राम की आबादी विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए आवासीय, सामुदायिक सुविधा यथा— चिकित्सा, शैक्षणिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की स्वीकृति एवं 90—ए की कार्यवाही करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस संबंध में मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है।" किन्तु उक्त आदेश सीमित अवधि के लिए ही था।</p> <p>8. राज्य सरकार द्वारा समसंब्धयक पत्र दिनांक 16.04.2010 के क्रम में परिपत्र क्रमांक प. 10 (35)नविवि/3/2010 दिनांक 07.05.2010 में बिन्दु सं. 3.2 पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया गया है :— "बिन्दु सं. 3.2 (ii) शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पताल हेतु :— यदि किसी भी भूमि/भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल हेतु चाहा गया है तो 10,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में 7 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जायेगी एवं प्रकरण पर अंतिम निर्णय 30 दिन में करना आवश्यक होगा। इस तरह को भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र/रूरल बैल्ट में स्थित भूमि/भूखण्ड पर भी संबंधित निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा। 10,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेंगे।"</p> <p>2. प्रस्ताव :— निकायों की परिधि नियंत्रण क्षेत्र में राजस्व ग्राम की आबादी में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा नगरीय अधिसूचित परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित ग्रमीण आबादी/ग्रामों के विकास हेतु स्पष्ट दिशा—निर्देशों के अभाव में भी नीतिगत निर्णय लिया जाना उचित होगा। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर आवासीय एवं सामुदायिक सुविधाओं/अन्य सामुदायिक सुविधाओं के भू-उपयोग में शैक्षणिक/अस्पताल/नर्सिंग होम/अन्य सामुदायिक सुविधाएं आदि गतिविधियों तथा मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की 500 मीटर की परिधि में आवासीय योजना/अस्पताल/नर्सिंग होम/अन्य सामुदायिक सुविधाएं गतिविधियों को अनुज्ञेय मानते हुए निम्नानुसार निम्न प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नीतिगत निर्णय लिया जाना उचित होगा :— (शैक्षणिक/अस्पताल गतिविधियों हेतु):— मास्टर प्लान में आवासीय सामुदायिक सुविधाओं/अन्य सामुदायिक सुविधाओं में शैक्षणिक/अस्पताल/नर्सिंग होम/अन्य सामुदायिक सुविधाएं आदि गतिविधियों को अनुज्ञेय मानते हुए निम्न तालिका अनुसार मानदण्डों के अनुरूप निदेशालय रथानीय निकाय विभाग के स्तर पर तकनीकी परीक्षण पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने हेतु नीतिगत निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है :—</p>				

नगर निगम / परिषद / पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

	required		
Senior Secondary School	2000 Sq. mtr.	18 mtr. & above	A premise having educational & playing facilities for students up to 12 th standard.
Nursery and Kinder School	0.05 Hact.	12 mtr. & above	A premise with facilities for training and playing for children preparatory to the school.
Primary School	0.10 Hact.	12 mtr. & above	A premise having educational and playing facilities for students up to 5 th standard.
Health Facility			
Health facility & Nursing home	0.25 Hact	9 mtr. & above	A premise having medical facilities for indoor or outdoor patient or both it having up to 30 beds.
(राजस्व ग्रामों की आबादी हेतु) :-			
● मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की आबादी की आवश्यकता एवं मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण 500 मीटर परिधि में आवासीय योजना / शैक्षणिक / चिकित्सा / अन्य सामुदायिक सुविधाएँ गतिविधियों को विकसित किये जाने हेतु कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है एवं राजस्व ग्रामों की 500 मीटर परिधि में स्थित कृष्णी भूमि को उक्त उपयोग हेतु अकृषि प्रयोजनार्थ स्वीकृति के संबंध में टाउनशिप पॉलिसी-2010, अफोर्डेबल आवास योजना, प्रचलित भवन विनियम एवं उपरोक्त तालिका अनुसार मानदण्डों की पालना करते हुए निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर तकनीकी परीक्षण पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने हेतु नीतिगत निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।			
उपरोक्त अनुसार राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में नीतिगत निर्णय लिये जाने पर उपरोक्त प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की लम्बी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा तथा स्थानीय निकायों की अधिकारिता में भी वृद्धि होगी।			
3.	उपरोक्त अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		

समिति का निर्णय :-

प्रस्ताव पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत कई आवेदक शैक्षणिक अथवा चिकित्सा सुविधा विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, किन्तु भू-उपयोग परिवर्तन की लम्बी प्रक्रिया के कारण ऐसी सुविधाएँ विकसित किये जाने को हतोत्साहित हो जाते हैं एवं फलस्वरूप आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की आबादी एवं आस-पास का क्षेत्र परिधि नियंत्रण क्षेत्र में होने के कारण ग्रामीण आबादी की आवश्यकता हेतु आधारभूत सुविधाएँ यथा- स्कूल, डिस्पेन्सरी, सामुदायिक सुविधाएँ आवासीय क्षेत्र आदि विकसित किये जाने हेतु स्पष्ट आदेश नहीं होने के अभाव में भू-उपयोग परिवर्तन की अनावश्यक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक जविप्रा / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(एल.पी.) / 2014 / डी-218 दिनांक 09.10.2014 अनुसार मास्टर विकास योजना-2025 के प्रावधान के अनुसरण में विभिन्न उपयोगों के लिए भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल व भूखण्ड के सामने की सड़क की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

क्र. सं.	उपयोग	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)
01.	शैक्षणिक		
	1.1 नर्सरी स्कूल	500	9

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

	1.2 प्राइमरी स्कूल	750	9
	1.3 सैकण्डरी स्कूल	1000	12
	1.4 हायर सैकण्डरी स्कूल	1500	18
	1.5 अपंग बच्चों का स्कूल	500	9
	1.6 रोजगार परक प्रशिक्षण केन्द्र	500	9
	1.7 संगीत नाट्य विद्यालय	500	9
	चिकित्सा		
02.	2.1 क्लीनीक/डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र	200	9
	2.2 नर्सिंग होम	750	12
	2.3 अस्पताल	1000	18
03.	योग केन्द्र/जिमनाजियम	500	12
04.	हैल्थ रिसोर्ट/एसपीए	2000	12
	05. कम्युनिटी सेन्टर (रेस्टोरेन्ट रहित/सहित)	2000	18
06.	गेस्ट हाउस	500	12
07.	ओल्ड एज होम/अनाथालय	250	12
08.	मनोरंजन क्लब	1000	12
09.	बैंक-वित्तीय संस्थान कार्यालय	500	12
10.	ए टी एम	10	9
11.	रेस्टोरेन्ट	300	12

अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एजेण्डा पर विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात् निम्नानुसार लिया गया :—

(i) मास्टर प्लान के आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधाएँ निम्नांकित मानदण्डों के तहत अनुज्ञेय होंगे :—

क्र. सं.	उपयोग	भूखण्ड क्षेत्रफल (न्यूनतम/अधिकतम)	भूखण्ड के आगे सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (विद्यमान अथवा प्रस्तावित)
1.	नर्सरी स्कूल	न्यूनतम— 500 वर्गमीटर अधिकतम— 1,000 वर्गमीटर	9.0 मीटर
2.	प्राइमरी स्कूल	न्यूनतम— 750 वर्गमीटर अधिकतम— 1,500 वर्गमीटर	9.0 मीटर
3.	सैकण्डरी स्कूल	न्यूनतम— 1,000 वर्गमीटर अधिकतम— 5,000 वर्गमीटर	12.0 मीटर
4.	सीनियर सैकण्डरी स्कूल	न्यूनतम— 1,500 वर्गमीटर अधिकतम— 10,000 वर्गमीटर	18.0 मीटर
5.	डिस्पेन्सरी	न्यूनतम— 200 वर्गमीटर अधिकतम— 1,500 वर्गमीटर	9 मीटर
6.	नर्सिंग होम	न्यूनतम— 750 वर्गमीटर अधिकतम— 10,000 वर्गमीटर	12 मीटर
7.	हॉस्पिटल	न्यूनतम— 1000 वर्गमीटर अधिकतम— 10,000 वर्गमीटर	18 मीटर

नोट :—

- उक्त क्षेत्रफल शैक्षणिक सुविधा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्ड मान्य होंगे।
- उक्त भू-उपयोग कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने पर ही अनुज्ञेय होंगे तथा मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी एवं यदि पूर्व में किसी भूमि/भूखण्ड का अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात् लीजडीड जारी हो चुका है तो उक्त भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायी जानी होगी।
- किसी पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना/नगरीय निकाय अथवा आवासन मण्डल की योजना में आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड पर उक्तानुसार भू-उपयोग किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायी जानी होगी।

**नगर निगम / परिषद / पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य
स्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण**

- अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी।

- (ii) नगरीय क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम की आबादी से 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में आवासीय शैक्षणिक, चिकित्सा भू-उपयोग निम्नांकित मानदण्डों के तहत अनुज्ञेय होंगे : -

क्र. सं.	उपयोग	भूखण्ड क्षेत्रफल (न्यूनतम/अधिकतम)	भूखण्ड के आगे सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (विद्यमान अथवा प्रस्तावित)
1.	नर्सरी स्कूल	न्यूनतम— 500 वर्गमीटर अधिकतम— 1,000 वर्गमीटर	9.0 मीटर
2.	प्राइमरी स्कूल	न्यूनतम— 750 वर्गमीटर अधिकतम— 1,500 वर्गमीटर	9.0 मीटर
3.	सैकण्डरी	न्यूनतम— 1,000 वर्गमीटर अधिकतम— 5,000 वर्गमीटर	12.0 मीटर
4.	सीनियर सैकण्डरी स्कूल	न्यूनतम— 1,500 वर्गमीटर अधिकतम— 10,000 वर्गमीटर	18.0 मीटर
5.	डिस्पेन्सरी	न्यूनतम— 200 वर्गमीटर अधिकतम— 1,500 वर्गमीटर	9 मीटर
6.	नर्सिंग होम	न्यूनतम— 750 वर्गमीटर अधिकतम— 10,000 वर्गमीटर	12 मीटर
7.	हॉस्पिटल	न्यूनतम— 1000 वर्गमीटर अधिकतम— 10,000 वर्गमीटर	18 मीटर
8.	आवासीय	न्यूनतम— 500 वर्गमीटर अधिकतम— 5.0 हैक्टेयर	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—2010 अथवा जो भी प्रचलित हो के नियमानुसार

नोट :-

- उक्त क्षेत्रफल शैक्षणिक सुविधा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्ड मान्य होंगे।
- उक्त भू-उपयोग कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने पर ही अनुज्ञेय होंगे तथा भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी एवं यदि पूर्व में किसी भूमि/भूखण्ड का अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात् लीजडीड जारी हो चुका है तो उक्त भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायी जानी होगी।
- किसी पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना/नगरीय निकाय अथवा आवासन मण्डल की योजना में आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड पर उक्तानुसार भू-उपयोग किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायी जानी होगी।
- अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी।
- राजस्व ग्राम की आबादी के अन्तिम छोर से 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में ही उक्त उपयोग अनुज्ञेय होंगे, भूमि की स्थिति 500 मीटर की परिधि क्षेत्र से अधिक होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायी जानी होगी।
- भूमि के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के संबंध में विवाद अथवा विलम्ब होने पर प्रकरण निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग को तकनीकी अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार नीतिगत निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के स्तर से आदेश जारी किये जावेंगे।

राजस्थान नियमित
नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन
प्रक्रिया अनुमोदन